न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 30 / 2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. पोकरराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर (मैसर्स बजरंग बली प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, महावीर नगर बाड़मेर का विक्रेता)
2. खीयाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी लक्ष्मी नगर बाडमेर (मैसर्स बजरंग बली प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, महावीर नगर बाडमेर का का मालिक)
3. केवल चंद वडेरा निवासी हमीरपुरा, बाडमेर (मैसर्स रिखबदास केवलचंद वडेरा डी–9 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक)
4. योगेश शुखीजा पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी पंडतान वाली गली, नियर सुपर स्टोर, ऑल्ड ग्रेन मार्केट, फरीदाकोट (मैसर्स सुपर स्टोरस, ऑल्ड ग्रेन मार्केट, स्ट्रीट पंडतवाली, फरीदकोट, पंजाब का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री दीक्षित कुमार, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स बजरंग बली प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, पोस्ट ऑफिस के पास, महावीर नगर बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **24.08.2023** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी** जो एक रेंक पर पाया गया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2236** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड औषधी** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नमूना प्राप्त होने के पश्चात् नमूने का विश्लेषण करेगा एवं अभिहीत अधिकारी को चौदह दिन के भीतर विश्लेषण की रिपोर्ट नमूने लेने एवं विश्लेषण की निदिष्ट पद्धति को उल्लेखित करते हुए भेजेगा और उसकी एक प्रति खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा, जिसमें उक्त धारा के अनुरूप समयावधि के अनुरूप 14 दिन में रिपोर्ट पेश करनी थी, परंतु फुड एनालिस्ट द्वारा 28 दिन पश्चात् जांच की रिपोर्ट पेश की गई हैं जो कि रिपोर्ट के कालबाधित होने से परिवाद खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **21.09.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का मानक स्तर **should be**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

absent की तुलना में **Foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नमूना प्राप्त होने के पश्चात् नमूने का विश्लेषण करेगा एवं अभिहीत अधिकारी को चौदह दिन के भीतर विश्लेषण की रिपोर्ट नमूने लेने एवं विश्लेषण की निदिष्ट पद्धति को उल्लेखित करते हुए भेजेगा और उसकी एक प्रति खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा, जिसमें उक्त धारा के अनुरूप समयावधि के अनुरूप 14 दिन में रिपोर्ट पेश करनी थी, परंतु फुड एनालिस्ट द्वारा 28 दिन पश्चात् जांच की रिपोर्ट पेश की गई है जो कि रिपोर्ट के कालबाधित होने से परिवाद खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 पर संयुक्त रूप से **25,000/-**, अप्रार्थी संख्या 03 पर **50,000/-** एवं अप्रार्थी संख्या 04 पर **रूपये 1,00,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर